01.11.25

अधि. पक्षकारान उप० | साक्ष्य वादी में गवाह बाबू खान उपस्थित का साक्ष्य शपथ पश हुआ, नमूल अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिलाई गई | साक्ष्य बाकी में और गवाह पश करने है, अधि. वादी ने समय चाहा जो इस

बाबू खान

सिविल न्यायाधीश
महाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

निर्देश के साथ किया गया कि आगामी पेशी पर समस्त गवाहान को साक्ष्य हेतु उपस्थित रखे. उस दिन के पश्चात साक्ष्य शपथ पत्र पेश करने हेतु आगामी अवसर प्रदान नही किया जावेगा एवं अधि. प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि उपस्थित एवं पूर्व मे पेश शपथपत्र के गवाह से जिरह हेतु तैयार रहे अन्यथा उस गवाह से जिरह का अवसर स्वतः बंद समझा जावेगा। पत्रा वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 11.11.25 को पेश हो।

सिविल न्यायाधीश
जालोजपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)